



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

27/2021-22/1999/12648

एसोसिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

दिनांक : 21/03/2022

Associate Professor & Public Information Officer

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 31.01.2022 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 22.02.2022 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना			
01	Please state the no. of full-time (core) faculty members that the University/Institute has currently (2021) :				
	No. of Professors	No. of Associate Professors	No. of Assistant Professors	Others (full-time ademic)	Current shortage of faculty in University/Institute (in %)
	10	13	84	03	--
	No. of Professors with PhD	No. of Associate Professors with PhD	No. of Assistant Professors with PhD	Others (full-time ademic) with PhD	--
	10	13	75	02	--
02	Give the number of faculty members who are currently pursuing PhD				04
03	Kindly give the number of administrative staff in the University/Institute.				95
04	Kindly state the percentage of faculty members who stay within the campus (in %) with respect to total faculty members in the University/Institute.			कुल शैक्षणिक सदस्य - 107 विश्वविद्यालय परिसर स्थित आवास में रहने वाले शैक्षणिक सदस्य - 56 प्रतिशत - 52.34%	
05	Give details about the number of international faculty members (faculty who hold tenured appointment in a foreign University) who teach at least 50% of a course.				NIL

कृ.पा.उ.



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

06	Number of dropout's students within 4 to 6 months of joining of course in the last three years.	मांगी गई समयावधि में ड्रॉपआउट छात्रों की संख्या 08 (आठ) है।
07	share number of foreign faculties teaching through Global initiative for Academic Networks (GIAN) scheme.	NIL
	Please specify the funded new initiatives of your University/Institute.	<ol style="list-style-type: none">ई-पीजी पाठशाला (हिंदी)राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के तहत स्वयं (SWAYAM) के माध्यम से हिंदी विषय में उच्च शिक्षा संकाय के लिए शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (अर्पित) 2018 [Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT) 2018] (विषय- बीसवीं शताब्दी की हिंदी कविता के प्रमुख प्रस्थान)राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के तहत स्वयं (SWAYAM) के माध्यम से हिंदी विषय में उच्च शिक्षा संकाय के लिए शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (अर्पित) 2019 [Annual Refresher Programme in Teaching (ARPIT) 2019] (विषय- रीतिकालीन हिंदी साहित्य)

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(श. भू. जोशी)
21/09/2022